TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 7TH JUNE, 1996

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
*****

New Delhi, the 7th June, 1996

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification vide S.O. 521(E) dated 14th July, 1994 issued under sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified the scheme at serial number 7, - (a) free eye camps at local villages of Saurashtra and Gujarat; (b) Mobile Services & Health Education surrounding Virnagar, Rajkot; (c) Hostel for ladies at Virnagar; and (d) Construction of low-cost latrines in 15 villages of Rajkot, by Shivanand Mission, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of two years commencing from the assessment year 1995-96;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond two years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme of (a) free eye camps at local villages of Saurashtra and Gujarat; (b) Mobile Services & Health Education surrounding Virnagar, Rajkot; (c) Hostel for ladies at Virnagar; and (d) Construction of low-cost latrines in 15 villages of Rajkot, which are being carried out by Shivanand Mission, Gujarat, without change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years i.e., Assessment Year 1997-98 and 1998-99.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10118
F.No. NC-73/96

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii)
में दिनांक 7 जून 1996 को प्रकाशनार्थ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, तारीख 7 जून 1996

अधिसूचना

का०आ० (अ) : केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 14 जुलाई, 1994 के का०आ० 521 (अ) के तहत जारी अधिसूचना के द्वारा योजना की क्रम सं० 7 पर शिवानन्द मिशन, गुजरात द्वारा (क) सौराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय गांवों में आंखों के मुफ्त कैम्प, (ख) राजकोट में वीरनगर के आसपास मोबाइल सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा (ग) वीरनगर में महिलाओं के लिए होस्टल और (घ) राजकोट के 15 गांवों में कम-लागत के संडासों के निर्माण की योजना को पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995-96 से शुरु होने वाले दो वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट किया था।

और उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्ष से आगे बन्द न हो जाने की सम्भावना है।

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ठ के उप नियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को दो वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की एक और सिफारिश की है।

अत: अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवानन्द मिशन, गुजरात द्वारा (क) सौराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय गांवों में आंखों के मुफ्त कैम्प (ख) राजकोट में वीरनगर के आसपास मोबाइल सेवाएं और स्वास्थ्य शिक्षा (ग) वीरनगर में महिलाओं के लिए होस्टल और (घ) राजकोट के 15 गावों में कम-लागत के संडासों के निर्माण की चलाई जा रही योजना को अनुमोदित लागत में बिना किसी परिवर्तन के पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1997-98 और 1998-99 से दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

(वी०के० सहगल)
उप सचिव, भारत सरकार

सं० 10118
फा०सं० एस०डी०-73/96